कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 339 दिनांकः– 08.5.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विशय : **गिरीडीह जिला में हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा– बड़की सरिया, टोला मन्धनियाँ में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग : **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 1155 दिनांक 02.05.2017**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

1. प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि निम्नवत है :–

प्रमंडल का नाम	मौजा/थाना/ थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट नं0	अधिसूचित वन भूमि का रकवा (हे0 में)	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वन भूमि का रकवा (हे0 में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकवा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल	मौजा– बड़की सरिया, टोला मन्धनियाँ थाना–बगोदर/44	200	4661	NIL	4.05	4.05	0.2

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र में (पार्ट–I) संलग्न है।
3. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल का पार्ट–II एवं स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
4. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग द्वारा भरा हुआ पार्ट–III में अनुशंसा दर्ज है साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।
5. Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।

D:\SUNIL\Proposal (K)\JUSNL\Barki Sariya 132, 33 KV (4.05 ha)

6. प्रस्ताव को MOEF के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका Time land detail संलग्न है।

7. प्रस्ताव के साथ 1:50000 के पैमाने पर टोपो शीट संख्या–G45T16 पर लोकेशन दर्शाते हुए संलग्न कर समर्पित किया गया है।

8. प्रस्ताव के साथ उपायुक्त, गिरीडीह का पत्रांक 574 दिनांक 10.05.2016 द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 4.05 हे0 (10 एकड़) के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत निर्गत दावा रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

9. प्रस्ताव के साथ उपायुक्त, गिरीडीह के पत्रांक 1243 दिनांक 13.05.2015 द्वारा निर्गत जंगल–झाड़ी उपयोग से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0भी0 की राशि देने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया है।

11. प्रस्तावित वनभूमि 05 हे0 से कम है तथा LWE के रूप में संसूचित जिला में अवस्थित है। अतः इसके लिए CA की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रस्तावित वनभूमि पर किसी प्रकार की violation किये जाने की सूचना नहीं है।

13. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी के पार्ट–II में प्रतिवेदनानुसार कुल 09 वृक्षों का पातन संभावित है।

14. प्रस्तावित वन भूमि कैडस्ट्रल ग्राम मानचित्र एवं Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

15. प्रस्तावित वन भूमि का वनस्पति घनत्व 0.2 है।

16. प्रस्तावित वन भूमि का Preparation of Geo-referenced Boundary Map (in shape file) प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

17. प्रस्ताव के साथ Cost Benefit Analysis संलग्न है।

18. प्रस्ताव के साथ Justification for location संलग्न है।

19. झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड का स्वीकृति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर, व्याघ्र परियोजना एवं गज आरक्ष्य का हिस्सा नहीं है। साथ ही प्रस्तावित वनभूमि Eco-sensitive zone में अवस्थित नहीं है।

21. प्रस्ताव के साथ C.W.L.W का मंतव्य प्राप्त नहीं है, इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।

22. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

विषयगत परियोजना 4.05 हे0 हेतु है तथा L.W.E जिला में अवस्थित है। अतः इसकी स्वीकृति हेतु राज्य सरकार सक्षम है। अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.05 हे0 (जंगल–झाड़) वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I की स्वीकृति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

08/05/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Kdn
8.5.17

D:\SUNIL\Proposal (K)\JUSNL\Barki Sariya 132, 33 KV (4.05 ha)

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

132/33KV GRID SUB-STATION AT SARIA IN GIRIDIH DISTRICT 4.05 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.05 ha. Forest land.

Date :- 08.05.2017

Place :- Ranchi.

Signature

08/5/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)